आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 10.09.2025 समय 1830

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे।
- केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहा।
- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना सहित छह प्रस्ताव मंजूर।
- देहरादून में दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र तक आने–जाने के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू।

प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद श्री मोदी देहरादून में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर, प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में प्रदेश सरकार को उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा।

मुख्यमंत्री

केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम ने उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना के नेतृत्व में टीम के सदस्यों ने आपदा प्रभावितों से मिले फीड बैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों की सराहना की। टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के प्रभावितों को पांच लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने और उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था के लिए निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केन्द्रीय टीम ने सराहना की। टीम के सदस्यों ने कहा कि वे इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से जमीन

का स्थाई नुकसान होता है। ऐसी जगहों को दोबारा खेती–बाड़ी या निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना पर भी बल दिया।

गोविंद बल्लभ पंत जयंती

महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पंत जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहते हुए पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऊधमसिंह नगर के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के अग्रदूत रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का योगदान अविस्मरणीय है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, उनकी दूरदृष्टि और समाज सुधार की भावना का परिणाम है।

पंत जयंती अल्मोड़ा

अल्मोड़ा जिले में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती धूम–धाम से मनाई गई। इस अवसर पर अल्मोड़ा में नन्दा देवी मंदिर परिसर से गोविंद बल्लभ पंत पार्क तक प्रभात फेरी निकाली गई। पंत पार्क में उनकी प्रतिमा पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। पंत जी के जन्म स्थान हवालबाग विकासखंड के ग्राम खूंट में भी उनका जन्मदिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड और भारत का गौरव बढ़ाया है।

राज्य मंत्रिमंडल बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री के अपर सचिव और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों– अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत, पौड़ी, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग के कुक्कुट पालकों के लिए कुक्कुट आहार सब्सिडी योजना लागू जाएगी। इस योजना के तहत प्रारम्भिक वर्ष 2025–26 में ब्रायलर फार्म योजना के अन्तर्गत 816 और कुक्कुट वैली स्थापना योजना के अन्तर्गत 781 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत करीब दो करोड़ 84 लाख रुपए की आहार सब्सिडी का आवंटन किया जाएगा। श्री तिवारी ने बताया कि देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के नाम से स्पेशल परपज़ व्हीकल का गठन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

दिव्यांगजन वाहन सेवा

देहरादून के गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में हाल ही में प्रदेश का पहला जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र शुरू होने के बाद अब दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के लिए प्रत्येक बुधवार को निःशुल्क वाहन सेवा भी शुरू हो गई है। आज देहरादून के सर्वे चौक पर मानसिक दिव्यांगजन अदिति गर्ग के हाथों हरी झंडी दिखाकर निःशुल्क वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन 11 दिव्यांगजनों ने निःशुल्क वाहन सेवा का लाभ लिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिले, इस दिशा में उनके लिए जिला चिकित्सालय में दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र खोला गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अब केंद्र तक आने–जाने के लिए विशेष समर्पित वाहन भी तैनात किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि विभाग के माध्यम से प्रत्येक बुधवार को दिव्यांगजनों के लिए सर्वे चौक से गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय तक आने–जाने के निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध रहेगी।

प्रांतीय रक्षक दल

प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल स्वयं सेवकों को अब साल में 12 दिन का मानदेय सहित अवकाश मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि चार धाम यात्रा और अन्य सभी महत्वपूर्ण आयोजनों में पीआरडी स्वयंसेवकों की उत्तम सेवा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे स्वयं सेवक जिनके द्वारा कम से कम 365 दिन की ड्यूटी कर ली गई हो और जो कार्ययोजित हों, उन्हें प्रत्येक 30 दिनों की ड्यूटी पर एक दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय के साथ मिले सकेगा। आकस्मिक अवकाश की मंजूरी ड्यूटी और तैनाती स्थल से संबंधित कार्यालय, संस्थान या निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून माह तक कुल 6 माह की अवधि में अधिकतम 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे। अगर 6 माह के बाद कोई आकस्मिक अवकाश बचता है, तो उसे आगे नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरह साल के बाकी 6 महीनों के लिए भी 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे।